नवीन पासपोर्ट
साईज फोटो

प्रोफार्मा –8 (संशोधित)
(अनुसूची–3–11 (i) & (ii) स्नातक पाठयक्रम हेतु)
(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठयक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)
बंध–पत्र
सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1. मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ....
....
मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र.................................. में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2. मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 जुन 2019 को प्रकाशित संशोधित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018, संशोधन दिनांक 05.10.2021, 26.07.2022, संशोधन नियम दिनांक 10.05.2023 तथा 02 जुलाई 2024 को भली भांति पढ़ तथा समझा लिया है।

3. मैने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2021 भली भॉती पढकर समझ लिया है।

4. मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

01) **सीट लिविंग बॉण्ड–**

अ. मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।

ब. यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के नियमानुसार विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठयक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में **सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन** किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित **शासकीय चिकित्सा/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय** की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बॉण्ड राशि रू0 30,00,000/–(रू0 तीस लाख) **भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ** अथवा निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने पर संबंधित संस्था में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा।

स. यह कि सीट लिविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज मुझे वापस नहीं किये जायेंगे।

02) ग्रामीण सेवा बॉण्ड–

अ. मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS Course) पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब. विहित अवधि जो कि शासकीय/निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर **एक वर्ष** शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रू0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) रू0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।

स. **अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।** एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविघालय में प्रवेश होने पर बॉण्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

अथवा

विहित अवधि जो कि **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख़्य मंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।** एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविघालय में प्रवेश होने पर बॉण्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

द. यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1.....................................

2.....................................